राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005

ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687

वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/1891-1931-K दिनांकः–29/12/2021

1. अतिरिक्त निदेशक,
   क्षेत्रीय कार्यालय,
   पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
   जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर।
   बीकानेर, उदयपुर।

2. कोषाधिकारी,
   समस्त।

विषयः– पे–मैनेजर/ई–कुबेर के माध्यम से पेंशन भुगतान करने के संबंध में।
संदर्भः– वित्त (पेंशन) विभाग के पत्रांक प.10(11)वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 28.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय में उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशो के क्रम में लेख है कि वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा जारी पत्र में पे–मैनेजर/ई–कुबेर के माध्यम से पेंशन भुगतान करने के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशो (प्रति संलग्न) की अनुपालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/262

OSD
29/12/21.

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक प. 10(11)वित्त / राजस्व / 2015 दिनांक : 28.12.2021

1. **निदेशक,**
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

2. **निदेशक,**
कोष एवं लेखा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—पे—मैनेजर / ई—कुबेर के माध्यम से पेंशन भुगतान करने के संबंध में।

संदर्भः—निदेशक, पेंशन की एकल पत्रावली संख्या डीपीडी / पीएस / 2021 / 36 दिनांक 15.12.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि माह दिसम्बर 2021 से पेंशन वितरण का कार्य बैंकों के स्थान पर E-kuber के माध्यम से कराये जाने के निर्णय की क्रियान्विति के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:—

1. (i) माह नवम्बर 2021 के बैंक स्क्रोल के आधार पर पेंशनर्स, जिनकी संख्या 4,51,660 है, को माह दिसम्बर 2021 के पेंशन भुगतान हेतु पेंशन बिल सिस्टम से जनरेट किये जावे।

(ii) वर्तमान में 9617 पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें अक्टूबर 2021 की पेंशन का भुगतान हुआ है। उक्त पेंशनर्स को भी माह अक्टूबर 2021 के बैंक स्क्रोल के आधार पर नवम्बर एवं दिसम्बर 2021 के पेंशन भुगतान हेतु पेंशन बिल सिस्टम से जनरेट किये जावे।

(iii) वर्तमान में 9107 पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें जीपीओ, सीपीओ का भुगतान किये जाने के उपरान्त पत्रावली बैंकों को भेजी गई थी। ऐसे पेंशनर्स को पेंशन का प्रथम भुगतान नहीं हुआ है। इन पेंशनर्स को भी विगत माहों के पेंशन भुगतान में पेंशन विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही की जावे एवम् उनके जीपीओ, सीपीओ का भुगतान जिस बैंक अकाउंट में हुआ है, उसी अकाउंट में पेंशन स्थानांतरित की जाये।

(iv) ऐसे पेंशनर्स, जिन्हें पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ जारी हो चुके हैं परन्तु भुगतान नहीं हुआ है एवम् जिनकी पेंशन विगत माहों में या दिसम्बर 2021 में देय होती है,

को भी उपलब्ध सूचना के अनुसार संबंधित बैंक अकाउंट में पेंशन स्थानांतरित की जावे। जिन प्रकरणों में पेंशन हेतु बैंक अकाउंट का विवरण उपलब्ध नहीं है, उन्हे जिस बैंक अकाउंट में उनके वेतन का भुगतान होता था, उसी बैंक अकाउंट में पेंशन स्थानांतरित की जावे।

2. (i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 130(2) में पेंशन भुगतान की दिनांक के संबंध में प्रावधान हैं। इस संबंध में चूंकि पेंशन भुगतान का कार्य बैंकों से लेकर राज्य सरकार द्वारा अब E-kuber के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रथम भुगतान दिनांक 1–1–2022 को देय है, चूंकि यह एक तकनीकी कार्य है, अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 166 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों में शिथिलन देते हुये दिनांक 1 जनवरी 2022 के स्थान पर 30 दिसम्बर 2021 से पेंशन वितरण किये जाने हेतु एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि किसी तकनीकी समस्या के उत्पन्न होने पर दिनांक 1–1–2022 तक पेंशन का भुगतान हो सके और सिस्टम परिवर्तन के कारण पेंशनर्स को पेंशन भुगतान में विलम्ब नहीं हो।

(ii) यह शिथिलन एक बारीय होगा, इसके पश्चात् पेंशन वितरण का कार्य निर्धारित तिथि पर ही होगा। इस प्रकार एक वर्ष में केवल 12 बार पेंशन का भुगतान होगा। माह दिसम्बर के लिये पेंशन का भुगतान गत माहों (विगत माहों एवं नवम्बर 2021) के लिये बैंक से प्राप्त स्कोल के आधार पर होगा।

3. (i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 133 एवम् राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 176 में पेंशनर की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु प्रावधान हैं।

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 166 एवम् राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम, 176 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशनर की व्यक्तिगत उपस्थिति के प्रावधान में छूट दिये जाने हेतु एतद् द्वारा उक्त नियमों में शिथिलन प्रदान किया जाता है।

4. समस्त कोषाधिकारियों को भी उपरोक्तानुसार निर्देशों से अवगत कराया जाये।

यह बार कोड़ संख्या 592100171 दिनांक 27.12.2021 पर वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त शिथिलन/अनुमोदन के अनुसरण में जारी किया जाता हैं।

28/12/2021

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (पेंशन) विभाग